

तारीख हुक्म	न्यायालय अति. जिला कल 272 दौसा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हु.स. 1/2014 नामा-द्रपिल लक्ष्मण / महाराजकिंदे	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	--	--

18-5-22 पत्रावली पेय हुई। अधिवक्ता रेस्पोंडेंस नं. 3
उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोंडेंस नं. 4 उपस्थित।
अधिवक्ता रेस्पोंडेंस नं. 3 इस बचत हेतु निवेदन
क्रियागमा बार-2 आवाज लजवाने के उपरांत
श्री अधिवक्ता प्राचीन अथवा प्राचीन में से
कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अधिवक्ता प्राचीन
को बचत हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्त
बचत प्राचीन पर प्रारंभिक आपात डिलेक 20-5-22
का पेय हो।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

20-5-22 आज पीठारीन अधिकारी महादय अवकाश वर
अन्य कार्य में व्यस्त होने से गत आदेशों की फालन
पत्रावली निमत दिनांक 23-5-22 को पेश

23-5-22 पत्रावली पेय हुई। अधिवक्ता रेस्पोंडेंस नं. 3 उपस्थित।
अधिवक्ता प्राचीन उपस्थित नहीं हुआ। अधिवक्ता
प्राचीन को बचत हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली
वास्त बचत प्राचीन पर प्रारंभिक आपात डिलेक
27-5-22 का पेय हो।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

27-5-22 आज पीठारीन अधिकारी महादय अवकाश वर
अन्य कार्य में व्यस्त होने से गत आदेशों की फालन
पत्रावली निमत दिनांक 30-5-22 को पेश

30-5-22 पत्रावली पेय हुई। अधिवक्ता रेस्पोंडेंस नं. 3
उपस्थित। बार-2 आवाज लजवाने के उपरांत
श्री अधिवक्ता प्राचीन अथवा प्राचीन में से
कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अधिवक्ता



रेस्पोंडेंस नं. 3
राजेश पाण्डे
30/5/22

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज म.स- 1/2014 नामांतरण लक्षणा / म.स. 23/2014	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---	---

रेसोर्ड नं 3 द्वारा निवेदन किया गया कि पत्रावली प्रारम्भना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति की बहस हेतु, नियत है तथा अधिकता प्राप्तिगत के पूर्व में दो अवसर प्रदान करने के उपरांत आज भी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं। इसलिये आपील अदम हाजरी में खारिज करमाई जावे।

पत्रावली का आवलोकन किया गया एवं अधिकता रेसोर्ड नं 3 के मयत पर मनन किया गया। अधिकता प्राप्तिगत के बहस हेतु पूर्व में दो अवसर दिये जा चुके हैं एवं आज भी बार-2 आवलोकन लगवाने के उपरांत अधिकता अपीलान्तुस अवका अपीलान्तुस में स मैडि भी उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में नामांतरण सं. 169 दिनांक 31-12-2013 ग्राम कोलवा तहसील बसवा के विरुद्ध अपीलान्तुस द्वारा प्रस्तुत अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अखीनाज आयालय तहसीलदार बसवा को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से क्रम दे एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख अन्तर्गत की जावे। निर्णय आज दिनांक 30-5-2022 को मेरे द्वारा खुद न्यायालय में सुनाया गया।



(आर. क. मीना)
अति. जिला कलक्टर
दौसा

